न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जा
16/10	[illegible] 16.10.18	
16/10/18	पत्रावली पेश है। विपक्षी पक्षकार एवं अन्य पक्षकार अनुपस्थित होने को तीन-तीन बार सम्मन जारी होने बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से न्यायालय के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व 5 सि.प्र.सं. स्वीकार योग्य मानता है अतः प्रार्थना पत्र लिखित सामग्री अभिलेख से स्वीकार किया जाता है पत्रावली नियमानुसार कैफियत नम्बर से कम है। तारीख तय कर दो।	